(24) (150)

नि0 5055/2018/सिंगरौली/भू0रा0

माननीय राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0
==

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5 — प्रयोजित/विलोपित
कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5
कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20 — प्रयोजित/विलोपित

कृष्णकुमार सिंह तनय श्री बनवारी सिंह क्षत्रिय उम्र 45 वर्ष, साकिन मिठुल, तहसील माड़ा जिला सिंगरौली म0प्र0 =====निगरानीकर्ता

बनाम

शकुन्तला सिंह पुत्री श्री बनवारी सिंह क्षत्रिय उम्र 41 वर्ष पत्नी श्री प्रभाकर सिंह ग्राम मुद्दी तहसील माड़ा जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश
==== गैरनिगरानीकर्ता

अधि0 श्री नीलकण्ठ
पेश/20-8-18
क्लर्क आफ कोर्ट

पुनरीक्षण विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी महोदय, माड़ा जिला सिंगरौली म0प्र0 के प्रकरण क्र0 0096/अपील/2016-17 आदेश दिनांक 12-07-2018.
=================================
पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 रा0 सं0 1959 संशोधन अधिनियम 2012.
=================================

महोदय,

पुनरीक्षण के तथ्य निम्नलिखित है:-

पुनरीक्षण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक के आवेदित भूमिया ग्राम मिठुल की आ0 नं0 462/1.23 है0 307/0.56 है0, 281/0.05 है0, एवं ग्राम धरी की आ0 नं0 823/1.24 है0 , 828/0.37 है0, 830/0.90 है0 ,870 /0.89है0 भूमिया मृतक बनवारी सिंह तनय चन्द्रभान सिंह के नाम दर्ज अभिलेख थी जिनकी दिनांक 25-08-2011 को मृत्यु हो गई उनके द्वारा अपने जीवन काल मे ही आवेदिका भूमियो की वसीयत ~~xxxxxxxxxxxx~~ दि0 31-12-2010 को आवेदक के नाम

(25)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग० 5055/2018/ग्वा. जिला सिंगरौली

कृष्ण कुमार सिंह विरूद्ध श्रीमती कुन्तला सिंह

1	2	3
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री भगवत सिंह गहरवार अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील माडा के प्रकरण क्रमांक 56/अपील/2016-2017 में पारित आदेश दिनांक 12-07-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 25-03-19 को कलेक्टर सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

~~की वसीयत xxxxxxxxxxxx दि0 21-12-2010 को आवेदक के नाम~~